बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार

''मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना''

Directorate of Fisheries, Bihar, Patna

**''मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना''
अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।**

योजना का उदेश्यः–

यह योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मत्स्य बाजार को आवश्यक आधारभूत संरचना के साथ संगठित एवं स्वच्छ रूप देना तथा छोटे एवं असंगठित मत्स्य व्यवसाईयों को "हाईजेनिक किट" की सहायता से उपभोक्ता तक स्वच्छता के साथ ताजी मछली की उपलब्धता की पहल करना जिससे रोजगार के नए अवसर के साथ–साथ मत्स्य कृषकों/मछुओं/मत्स्य व्यवसाईयों की वार्षिक आमदनी में वृद्धि हो सके।

योजना का क्रियान्वयनः–

1. मत्स्य बाजार में मछलियों का आवक, बिक्री, हाईजेनिक स्थिति आदि का आँकड़ा संकलन कर समय–समय पर विभाग/निदेशालय को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।
2. प्रस्तावित ''मत्स्य विपणन किट की योजना'' का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलो में किया जायेगा।
3. इस योजना के तहत् ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मत्स्य विक्रेताओं जो सड़क के किनारे, चौक चौराहों, बाजार, हाट आदि जगहो पर मत्स्य विपणन का कार्य करते हैं को लाभान्वित किया जायेगा।
4. इस योजना का लाभ एक व्यक्ति/परिवार अथवा समूह को अधिकतम एक मत्स्य विपणन किट की अनुमान्यता होगी।
5. योजनान्तर्गत मत्स्य विपणन किट हेतु एन0एफ0डी0बी0/विभाग के द्वारा Empanelled आपूर्तिकर्ताओं/निर्माणकर्त्ताओं से लाभार्थी अपनी स्वेच्छा से ISI/BIS/ISO मार्का (जो अनुमान्य है) मत्स्य विपणन किट सामग्री का क्रय कर सकेंगे।

अनुदान देयः–

इस योजना के तहत् शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य विक्रेता लाभुकों को निर्धारित इकाई लागत का अधिकतम 70 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

लाभार्थी का चयनः–

1. मत्स्य विक्रेता लाभूक द्वारा अपने मत्स्य विक्रय स्थल/दुकान के साथ अपना फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज में) आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. आवेदन पत्र में लाभुकों का मोबाईल नं0 तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड अंकित किया जाएगा। आधार कार्ड नं0,/राशन कार्ड नं0/मतदाता पहचान पत्र/बैंक खाता, IFSC कोड, जमीन का नक्सा, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाएगा।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभुकों को आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जायेगी।

आवेदन की प्रक्रियाः–

योजना हेतु आवेदन http://fisheries.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.06.2023 तक।

इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या–954, दिनांक–02.03.2023 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर प्रदर्शित है।
यह योजना वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी कार्यान्वित की जाएगी।